संख्या: / XIV-2/2017/9(12)/2017

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर
जनपद उधमसिहनगर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 09 नवम्बर, 2017

विषयः– राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल सितारगंज को वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ऋण स्वरूप रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में शासकीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल सितारगंज को वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से ऋण स्वरूप रू0 5.00 करोड़ की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि आहरित कर भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– राज्य आकस्मिकता निधि से ऋण स्वरूप अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को आहरित कर संबंधित चीनी मिल को उपलब्ध कराया जायेगा तथा चीनी मिल द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग मिल के कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु किया जायेगा तथा इस धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त मद में भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल वापस कर दिया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि के भुगतान में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन होने पर इसके लिए सम्बन्धित लेखाधिकारी/प्रधान प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

5– उक्त स्वीकृत ऋण अथवा ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में चालान संख्या, कोषागार का नाम, जमा धनराशि, लेखाशीर्षक, एस0एल0आर0 का सन्दर्भ एवं पिछले जमा का सन्दर्भ आदि विवरण महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा महालेखाकार के कार्यालय से लेखे का वार्षिक मिलान कराया जायेगा।

6— अतः प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रथमतयाः लेखाशीर्षक "8000—राज्य आकस्मिकता निधि—201 समेकित निधि से विनियोजन के नामे तथा अन्ततः अनुदान संख्या—17 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

लेखाशीर्षक **(धनराशि रूपये हजार में)**

अनुदान संख्या—17

लेखाशीर्षक—6401—फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज—00—

109—वाणिज्यिक फसलें—10—उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र / निगम की मिलों को ऋण—00—30—निवेश / ऋण

5,00,00

कुल योग— 5,00,00

(रूपये पाँच करोड़ मात्र)

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)

अपर सचिव।

वित्त विभाग

संख्या : 32 /(NP)/XXVII (1)/रा0आक0निधि /2017, दिनांक 09.11.2017 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा) उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित नेगी)

सचिव।

संख्या :1157/ (1)/ XIV-2/2017/9(12)/2017, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

(1) जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

(2) वरिष्ठ / उप कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / काशीपुर।

(3) वित्त अनुभाग—1 / वित्त अनुभाग—4 / बजट निदेशालय / नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।

(5) निजी सचिव, मा0 गन्ना मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

(6) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

(7) सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंहनगर / देहरादून / हरिद्वार।

(8) प्रबन्ध निदेशक / प्रधान प्रबन्धक / अधिशासी निदेशक, सम्बन्धित चीनी मिलें।

(9) गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)

अपर सचिव।